



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244634
CG-DL-E-23032023-244634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1348]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945

No. 1348]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1401(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा जिले में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-701 के कि.मी. 13+000 से 121+420 कि.मी. तक रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड़, पैकेज-IV(चौकीबल बाईपास) का निर्माण (चौडीकरण/टू लेन विड पेव्ड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कुपवाड़ा, जिला कुपवाड़ा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के

पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जिले कुपवाड़ा में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-701, के कि.मी. 13+000 से 121+420 कि.मी. तक रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड, पैकेज-IV(चौकीबल बाईपास) के लिए भूखण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: कुपवाड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कालपोरा					
गांव का नाम: पांजगम					
1	1025 Min	निजी(शामिलात)	गैर मुमकिन कोल	0.0167000(हेक्टेयर)	0.0167000
2	1046 Min	सरकारी	नाला	0.1821000(हेक्टेयर)	0.1821000
3	950 Min	निजी	अबी अवल	0.1088000(हेक्टेयर)	0.1088000
4	951 Min	निजी(शामिलात)	बंजर कदीम	0.0114000(हेक्टेयर)	0.0114000
5	951 Min	निजी(शामिलात)	बंजर कदीम	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
6	952 Min	निजी(शामिलात)	अबी - वारी	0.0063000(हेक्टेयर)	0.0063000
7	953 Min	निजी	मैदानी	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
8	954 Min	निजी	मैदानी	0.0022000(हेक्टेयर)	0.0022000
9	958 Min	निजी(शामिलात)	गैर मुमकिन कोल	0.0562000(हेक्टेयर)	0.0562000
10	984 Min	निजी	अबी अवल	0.0392000(हेक्टेयर)	0.0392000
11	985 Min	निजी	अबी अवल	0.0582000(हेक्टेयर)	0.0582000
12	986 Min	निजी	अबी अवल	0.0485000(हेक्टेयर)	0.0485000
कुल				0.5587	0.5587

[फा. सं. 1/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1401(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /two lanning with paved shoulder),maintenance,management and operation of the Newly declared National Highway No. NH-701 in the stretch of land from Km. 13+000 to Km. 121+420, **Rafiabad-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road,Package-IV(Chowkibal Bypass)** in the District of Kupwara, in the State of Jammu&Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Commissioner(Revenue) and Land Acquisition Officer Kupwara, District Kupwara, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land Km. 13+000 to Km. 121+420 Rafiabad-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road Package-IV(Chowkibal Bypass) of the newly declared National Highway NH-701 in the District of Kupwara,in the State of Jammu & Kashmir(UT).

State: JAMMU & KASHMIR		District: KUPWARA			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: KRALPORA					
Village: Panzgam					
1	1025 Min	Private(Shamilat)	Gair Mumkin Koul	0.0167000(Hectare)	0.0167000
2	1046 Min	Government	Nallah	0.1821000(Hectare)	0.1821000
3	950 Min	Private	Abi Awal	0.1088000(Hectare)	0.1088000
4	951 Min	Private(Shamilat)	Banjar Qadeem	0.0114000(Hectare)	0.0114000
5	951 Min	Private(Shamilat)	Banjar Qadeem	0.0240000(Hectare)	0.0240000
6	952 Min	Private(Shamilat)	Abi - Wari	0.0063000(Hectare)	0.0063000
7	953 Min	Private	Maidani	0.0051000(Hectare)	0.0051000
8	954 Min	Private	Maidani	0.0022000(Hectare)	0.0022000
9	958 Min	Private(Shamilat)	Gair Mumkin Koul	0.0562000(Hectare)	0.0562000
10	984 Min	Private	Abi Awal	0.0392000(Hectare)	0.0392000
11	985 Min	Private	Abi Awal	0.0582000(Hectare)	0.0582000
12	986 Min	Private	Abi Awal	0.0485000(Hectare)	0.0485000
Total				0.5587	0.5587

[F. No. 1/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.